भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **1910**
गुरूवार 9 दिसंबर, 2021/18 अग्रहायण, 1943 (शक) / को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू उड़ानों में गर्म भोजन

1910. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री मनोज तिवारी:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुब्रत पाठक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयरलाइनों को सभी घरेलू उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस निर्णय से हवाई किराए में वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एयरलाइनों को उड़ान के दौरान भोजन परोसने के लिए कोई कोविड-19 निर्देश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने घरेलू एयरलाइनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के संबंध में कोई दिशानिर्देश/निर्देश भी जारी किए हैं,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में एयरलाइंस की प्रतिक्रिया क्या है, और

(च) क्या यह निर्णय लेने से पहले हवाई यात्रियों की राय भी ली गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (च): कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण मार्च, 2020 में एयरलाइन प्रचालनों को बंद कर दिया गया था। ऐसे में उत्पन्न स्थिति के आधार पर, सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए विभिन्न प्रतिबंधों के साथ मई, 2020 में घरेलू प्रचालनों को चरणबद्ध रूप से आरंभ किया गया है।

तदनुसार, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वर्ष 2020 में कोविड -19 वैश्विक महामारी के दौरान एयरलाइनों को भोजन परोसने से प्रतिबंधित कर दिया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) द्वारा घरेलू यात्रा के लिए जारी दिशा-निर्देशों और कोविड उपयुक्त व्यवहार प्रोटोकॉल के उचित क्रियान्वयन के कारण कोविड के मामलों में कमी और हवाई परिवहन सुविधा समिति (एटीएफसी), जिसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं, की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने, समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के पालन के अध्यधीन, किसी भी उड़ान अवधि के लिए विमान में भोजन परोसने से संबंधित दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधान में दिनांक 16.11.2021 को संशोधन किया है। भोजन की लागत को विभाजित सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है और इसलिए यह यात्री पर निर्भर करता है कि वे इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करें। विमान के भीतर भोजन की गुणवत्ता, संबंधित एयरलाइन की नीतियों द्वारा नियंत्रित होती है, जो उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी भोजन की गुणवत्ता पर उचित मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करती हैं।

******